:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (म.प्र.) ::

– विज्ञप्ति –

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, राजगढ़ के प्रतिलिपि अनुभाग, जिला मुख्यालय– राजगढ़ एवं तहसील न्यायालय, ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर में प्रायवेट फोटोकॉपीयर मशीन स्थापित की जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटोकॉपीयर मशीन स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक 27.11.2026 सांय 5.00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के कार्यालय में जमा कर सकते है। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 28.11.2026 को सांय 5.00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि (यदि उपस्थित हो तो) के समक्ष खोला जोवगा।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेबसाईट www.mphc.in एवं जिला न्यायालय, राजगढ़ की बेबसाईट https://rajgarh.dcourts.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (म.प्र.) ::

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन कमांक Reg (IT)(SA)/2024/938 दिनांक 02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में आउटसोर्स से प्रतिलिपि कार्य के लिये शर्ते :–

– निविदा शर्तें –

1– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, राजगढ़ के पक्ष में 6 महीने की अवधि के लिए वैध बैंक की गारंटी/एफडीआर/डीडी के रूप में 10000/– रूपये (केवल दस हजार रूपये) की ईएमडी के साथ सभी प्रकार से पूर्ण मुहरबंद निविदा एक लिफाफे में रखकर जिला एवं सत्र न्यायालय, राजगढ़ में दिनांक 27.11.2026 के सांय 5.00 बजे तक जमा हो जानी चाहिए। अपूर्ण/सशर्त/विलंबित निविदाएं एवं बिना नकद धनराशि के या तिथि पर सभी या किसी भी कर/प्रभार को शामिल किए बिना निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

2– निविदाएं निविदाकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 28.11.2026 को सांय 5.00 बजे क्रय समिति, जिला न्यायालय, राजगढ़ के समक्ष खोली जाएंगी, जो निविदाकार उपस्थित रहना चाहें उपस्थित हो सकते हैं। उद्धृत दरों, अनुबंध के नियमों और शर्तों में ओवरराईटिंग या परिवर्तन या संशोधन नहीं होना चाहिए। सभी फार्म अनुलग्नक–1 पर फर्म की मुहर के साथ विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए।

3– परफॉर्मेंस गारंटी– स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ को बैंक गारंटी/एफडीआर/अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के पक्ष में अनुमानित अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत परफॉर्मेंस सुरक्षा प्रदान करेगा। परफॉर्मेंस सुरक्षा वारंटी/दोष दायित्व, यदि कोई हो, सहित अनुबंध के पूरा होने के तारीख से 60 दिनों तक वैध होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व, यदि हो, भी शामिल होंगे।

4– फोटोकॉपी सभी करों और सरकारी स्तरों सहित प्रति कॉपी दर के आधार पर फर्म द्वारा प्रदान की जाएगी। फोटोकॉपी प्रति दर क्रमशः एक तरफ/दोनों तरफ के लिए अलग–अलग निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

5– फोटोकॉपी मशीन को निर्देशों के अनुसार जिला न्यायालय के परिसर में स्थापित करना होगा। ठेकेदार को कार्यालय समय के दौरान मशीन की उपलब्धता सख्ती से सुनिश्चित करनी होगी।

6– दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। हालांकि संतोषजनक सेवाओं के अधीन, अनुबंध की अवधि को समान नियमों और शर्तों पर अधिकतम 03 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में उस व्यक्ति का तत्काल ठेका समाप्त कर दिया जावेगा।

7– कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा, अनुबंध अवधि के दौरान दरों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों के अनुसार करों में कटौती की जाएगी। सरकार द्वारा लागू वैधानिक शुल्कों को छोड़कर अनुबंध की अवधि के दौरान दर संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। यद्यपि अधिसूचना/विनियमों में परिवर्तन के माध्यम से जो कंपनियां एक वर्ष के लिए प्रभावी कीमत उद्धृत कर सकती हैं, उन्हें ही आवेदन करने की आवश्यकता है।

8— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य की आवश्यकता के अनुसार मशीनों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा बिना रूके कार्य को करना होगा की कार्यालय का कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो इसके लिए अन्य मशीन की स्टैंडबाई व्यवस्था करना होगी जिससे कार्य बिना रूके संचालित किया जावे।

9— कोई परिवहन शुल्क या कोई अन्य शुल्क नहीं दिया जाएगा।

10— फोटोकॉपी मशीन के रख—रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी स्टेशनरी की आपूर्ति की लागत जैसे अच्छी गुणवत्ता वाला कागज 75 जीएसएम, टोनर, स्टेपलर पिन और अन्य आकस्मिक लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। फोटोकॉपी मशीन को संचालित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति लगाने की जिम्मेदारी और उनकी नियुक्ति पर होने वाला व्यय भी ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

11— ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा की कार्यालय में फोटोकॉपी का काम सुचारू रूप से चले ताकि काम के निष्पादन में किसी भी कठिनाई से बचा जा सके, अन्यथा 500/— रूपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बाजार से फोटोकॉपी कार्य के निष्पादन पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि भी फर्म के लंबित बिलों/परफॉर्मेंस सुरक्षा से काट ली जाएगी।

12— कार्य आदेश के अनुसार स्थापित को जाने वाली फोटोकॉपी मशीन एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और ठेकेदार मॉडल/वर्ष को सत्यापित करने के लिए खरीदी आदेश प्रस्तुत करेगा।

13— फर्म द्वारा प्रस्तावित फोटो कॉपी मशीन की विशिष्टता के साथ मेक और मॉडल, सेवा कर का प्रमाण और टिन नंबर और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अन्य सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठित संगठनों की सूची जिनके लिए आउटसोर्सिंग सेवाएं दी जाती हैं। ठेकेदार द्वारा दस्तावेजी प्रमाण और पते, सम्पर्क व्यक्ति का नाम, मोबाईल नं. आदि जैसे पूर्ण विवरण के साथ संतोषजनक सेवाओं की रिपोर्ट के साथ फोटोकॉपी की गई है/प्रदान की जा रही है, जिसे बोली दस्तावेज के साथ भी प्रस्तुत किया जाएगा।

14— यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी की किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अदालत के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज तक पहुंच न मिले। इस शर्त का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी और ईएमडी/परफॉर्मेंस सुरक्षा बिलों को जब्त करने के अलावा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

15— ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेगा। ठेकेदार की ओर से भ्रष्ट या धोखाधड़ी का कोई भी कार्य अनुबंध की समाप्ति और परफॉर्मेंस सुरक्षा को जब्त करने, ठेकेदार को काली सूची में डालने और कानून के तहत् किसी भी अन्य कार्यवाही को आकर्षित करेगा।

16— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मंजूरी के बिना किसी भी उपठेके की मंजूरी नहीं दी जायेगी।

17— छूट प्राप्त जोखिमों के अलावा अनुबंध के निष्पादन के दौरान और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली भौतिक सम्पत्ति की हानि और क्षति और व्यक्तिगत चोट और मृत्यु के सभी जोखिम ठेकेदार की जिम्मेदारी हैं।

18— जिला न्यायालय ठेकेदार को केवल बिजली और स्थान निःशुल्क प्रदान करेगा और कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

19— यदि दूसरा पक्ष अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठेकेदार को एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जावेगा।

20— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास ठेकेदार या उनके कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर या अन्यथा सेवाओं की गुणवत्ता को संतुष्ट रखने में किसी गंभीर चूक के लिए ठेकेदार पर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

21— यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के व्यवहार या प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो ठेकेदार को दोषों को सुधारने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया जावेगा, ऐसा न होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जुर्माना लगाने के अलावा उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठेकेदार को केवल फोटोकॉपी सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान जारी करेगा। यदि अनुबंध की शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो नियोक्ता, अनुबंध के तहत अपने किसी अन्य सुधारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता द्वारा उसके मासिक बिल से आवश्यकता अनुसार काम पूरा न कर पाने की घटना/प्रति दिन 500/—रूपये, अनुबंध मूल्य से अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती तक का जुर्माना लगाये/कटौती की जावेगी। वह कागज और मुद्रण आदि के मापदंडों के अनुसार संतोषजनक नहीं पाये गये कार्य के लिए भुगतान को भी अस्वीकार किया जावेगा।

23— अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार का दायित्व है और वह साइट पर सभी गतिविधियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

24— अनुबंध की निरंतरता के दौरान ठेकेदार हर समय मौजूदा श्रम अधिनियम और उसके तहत् बनाये गये नियमों, राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के विनियमों, अधिसूचनाओं और उप कानूनों और किसी भी अन्य श्रम कानून नियमों सहित का पालन करेगा। विनियम, उपनियम जो पारित किये जा सकते हैं या अधिसूचना जो भविष्य में किसी भी श्रम कानून के तहत् राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी की जा सकती हैं यदि किसी अधिनियम या उसके तहत् बनाये गये नियमों, विनियमों या प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है, तो वह नियोक्ता (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय) को क्षतिपूर्ति दिलायेगा।

25— अनुबंध की अवधि के दौरान ठेकेदार की किसी चोरी या लापरवाही के कारण जिला न्यायालय परिसर की संपत्ति की हानि/क्षति की भरपाई ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी, यदि हानि या क्षति उसके कृत्यों या चूक से होती है।

26— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने या पूरी तरह अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

27— समझौते के पक्षकारों के बीच कोई भी विवाद होता है तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो पाता है, तो विवाद को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, और जो फैसला सुनाया जाएगा / उनके द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाएगा, दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार संचालित की जाएगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 3008..... राजगढ़ दिनांक 24/10/26

प्रतिलिपि :–

01– आयुक्त जन संपर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा बागगना रोड भोपाल, की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु (एक अतिरिक्त प्रति सहित) एवं खुली निविदा के प्रकाशित किये जाने के समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

02– जिला जन संपर्क अधिकारी, जिला राजगढ़ की ओर प्रचार / प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित। खुली निविदा के प्रकाशित किये जाने के समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

03– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग राजगढ़ की ओर अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित एवं जिला नाजिर को निर्देशित करें कि उक्त निविदा की अतिरिक्त प्रति को जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर एवं राजगढ़ शहर के प्रमुख संस्थानों एवं चौराहों पर उक्त विज्ञप्ति को प्रचार प्रसार हेतु चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

04– अध्यक्ष/सदस्य, क्रय समिति, जिला न्यायालय, राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि जिला न्यायालय, राजगढ़ के प्रतिलिपि अनुभाग, जिला मुख्यालय, राजगढ़ एवं तहसील न्यायालय, ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर /खिलचीपुर की निविदा संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

for

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ (ब्यावरा) म.प्र.

ANNEXURE-I

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSORUCE PHOTOCOPY WORK

1. Rate Quotation of the Tenderer (INCUSIVE OF ALL TAXES):

SL.NO.	PARTICULARS	Rate per copy with Paper (A-4 size J.K/orient/bilt matrix Bond Paper, 75 gsm)	Rate per copy with legal size of J.K/orient/bilt matrix Bond Paper, 75 gsm Paper)
01	Single side photocopy on one sheet		
02	Photocopy on back to back side on one sheet		

2. Machine Model No. and Make _____

3. Earnest money details : _____ date_____ for Rs.10,000/- Name of Bank_____

4. PAN No. _____

5. TIN No._____

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature _____

Name & address with seal &Date_____

Phone (O) _____

(M) _____

(R) _____

Q46
12/-8/2-11

Scanned with OKEN Scanner